न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 21/2019

1. श्री सोहन पुत्र हजारी जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर — अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 27.03.2019

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा उदयगढखेडा, पटवार मण्डल हीरापुरा व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता सं. 275 में दर्ज आराजी खसरा नं. 902 रकबा 0.20, 904 रकबा 0.02, 2027 रकबा 0.13, 2046 रकबा 0.21, 2065 रकबा 0.01, 2066 रकबा 0.47, 2232 रकबा 0.13, 2235 रकबा 0.08, 2246 रकबा 0.16, 2249 रकबा 0.23 हैं0 कुल किता–10 रकबा 1.64 भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज भूमि हैं जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र हजारी दर्ज कर दिया गया है जो गलत हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम सोहन पुत्र हजारी कौम रावत हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया जाना स्वीकार किया। उभयपक्षान को सुना जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा ग्राम उदयगढखेडा की जमाबंदी 2074–77 खाता सं. 355 , ग्राम गुजरवाडा की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता सं. 176, 177, प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जवाब पैराकार सरकार का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतो ा योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा उदयगढखेडा, पटवार मण्डल हीरापुरा व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता सं. 275 में दर्ज आराजी खसरा नं. 902 रकबा 0.20, 904 रकबा 0.02, 2027 रकबा 0.13, 2046 रकबा 0.21, 2065 रकबा 0.01, 2066 रकबा 0.47, 2232 रकबा 0.13, 2235 रकबा 0.08, 2246 रकबा 0.16, 2249 रकबा 0.23 हैं0 कुल किता–10 रकबा 1.64 भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में मोहन पि. हजारी के स्थान पर सही नाम सोहन पि. हजारी कौम रावत दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए जाते है एवं राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.26 10:40:33 IST
Reason: SelfAttested